छात्रवृति : कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति मिलती है।

अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

छात्रवृति हेतु आवेदन करते समय आवश्यक प्रमाण पत्र :

1. आवासीय प्रमाण पत्र ।
2. जाति प्रमाण पत्र ।
3. आय प्रमाण पत्र ।
4. आधार कार्ड की छाया प्रति ।
5. नामांकन रसीद की छाया प्रति ।
6. परिचय पत्र की छाया प्रति ।
7. छात्र/छात्रा के बैंक खाते की छाया प्रति जिसमें कि शाखा का IFSC Code उल्लेखित हो ।
8. दो रंगीन फोटो ग्राफ ।
9. वर्ग X के अंक पत्रकी छाया प्रति ।

महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र

नामांकन के बाद छात्र/छात्रा महाविद्यालय परिवार के अभिन्न अंग होगें। सफलतापूर्वक वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्धारित शुल्क जमाकर आवेदन देने पर महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

सत्र की अवधि में स्थानांतरण प्रमाण पत्र सत्र के लिए निर्धारित शुल्क अदायगी के बाद ही पर निर्गत होगा।

Scanned by CamScanner